भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।
4. संस्थान का निगमन ।
5. शासी बोर्ड का गठन ।
6. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनकी रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।
7. संपत्तियों का निहित होना ।
8. संस्थान के निगमन का प्रभाव ।
9. संस्थान के कृत्य ।
10. बोर्ड की शक्तियां ।
11. संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।
12. संस्थान में शिक्षण ।
13. कुलाध्यक्ष ।
14. संस्थान के प्राधिकरण ।
15. महापरिषद् का गठन ।
16. महापरिषद् की शक्तियां और कृत्य ।
17. सिनेट ।
18. सिनेट के कृत्य ।
19. बोर्ड का प्रधान ।
20. निदेशक ।
21. कुल सचिव ।
22. अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।
23. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
24. संस्थान की निधि ।
25. विन्यास निधि की स्थापना ।
26. संस्थान का बजट ।
27. लेखा और संपरीक्षा ।
28. वार्षिक रिपोर्ट ।
29. पेंशन और भविष्य निधि ।
30. संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।
31. नियुक्तियां ।

32. परिनियम ।
33. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।
34. अध्यादेश ।
35. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।
36. संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा कारबार का संचालन ।
37. माध्यस्थम् अधिकरण ।
38. रिक्तियों द्वारा कार्य और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
39. संस्थान द्वारा डिग्रियों, इत्यादि का प्रदान किया जाना ।
40. प्रायोजित स्कीमें ।
41. केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।
42. मतभेदों का समाधान ।
43. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।
44. संक्रमणकालीन उपबंध ।
45. परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

2017 का अधिनियम संख्यांक 111

[दि इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।

2. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं । इसलिए यह घोषणा की जाती है कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत दिन अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित संस्थान का शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से महापरिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "निदेशक" से धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ङ) "निधि" से धारा 24 के अधीन रखी जाने वाली संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(च) "महापरिषद्" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित महापरिषद् अभिप्रेत है ;

(छ) "संस्थान" से धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अभिप्रेत है ;

(ज) "बोर्ड का प्रधान" से धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है ;

(झ) "कुल सचिव" से धारा 21 में निर्दिष्ट संस्थान का कुल सचिव अभिप्रेत है ;

(ञ) "सिनेट" से धारा 17 में निर्दिष्ट संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ;

(ट) "सोसाइटी" से आन्ध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान सोसाइटी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश अभिप्रेत है ; और 2001 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 35

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

संस्थान का निगमन ।

4. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था है, की एक निगमित निकाय के रूप में स्थापना की जाती है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा । 2001 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 35

शासी बोर्ड का गठन ।

5. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड नामक बोर्ड

का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) प्रधान, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए :

परंतु प्रथम प्रधान, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, उस तारीख से, जिसको पहले परिनियम प्रवृत्त होते हैं, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना है ;

(ख) संस्थान का निदेशक- पदेन ;

(ग) संप्रवर्तक कंपनियों के निदेशक बोर्ड से, दो व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संप्रवर्तक कंपनियों" से धारा 25 में निर्दिष्ट विन्यास निधि में अभिदाय करने वाली कंपनियां अभिप्रेत है ;

(घ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलौर से एक आचार्य, जो उस संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है ;

(ड.) शिक्षा, अनुसंधान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेषीकृत ज्ञान या प्रचालन अनुभव रखने वाले, संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को समाविष्ट करते हुए पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय तथा गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पांच ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ, जो महापरिषद् द्वारा संस्थान के निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं ;

(च) संस्थान के दो आचार्य, जो संस्थान की सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं ; और

(छ) संस्थान के स्नातकों का एक प्रतिनिधि, जो पूर्व छात्र संगम की कार्यकारी समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है ।

(2) संस्थान का कुल सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) बोर्ड साधारणतया एक कलेण्डर वर्ष के दौरान चार बार अधिवेशन करेगा ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनकी रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

6. (1) जैसा इस धारा में उपबंधित है, उसके सिवाय, बोर्ड के प्रधान या पदेन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य की पदावधि, उसकी नियुक्ति या उसके लिए नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(2) कोई पदेन सदस्य, उस पद को, जिसके कारण वह बोर्ड का सदस्य है, रिक्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए किसी सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि तक बनी रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक केंद्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किए जाने तक पद पर बना रहेगा ।

(5) बोर्ड के सदस्य संस्था से, ऐसे भत्तों के, यदि कोई हों, हकदार होंगे, जो परिनियमों में उपबंधित किए जाएं किन्तु धारा 5 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई भी सदस्य किसी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

संपत्तियों का निहित होना ।

7. नियत दिन से ही और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी संपत्तियां, जो उस दिन के ठीक पहले सोसाइटी में निहित थी, उस दिन से ही संस्थान में निहित हो जाएंगी ।

संस्थान के निगमन का प्रभाव ।

8. नियत दिन से ही,--

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश को संस्थान के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा ;

(ख) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे ।

संस्थान के कृत्य ।

9. संस्थान निम्न कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(i) पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन तथा ऊर्जा के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी और उत्कृष्टता विकसित और संप्रवर्तित करना ;

(ii) पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन तथा ऊर्जा के क्षेत्र में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विज्ञान और कला में स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्ट्रेट डिग्रियों को प्रदान करने के लिए किए जाने वाले शिक्षण और अनुसंधान के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ;

(iii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो संस्थान अवधारित करे, ऐसे अभ्यर्थियों को, जो परीक्षाओं के आधार पर या परीक्षण और मूल्यांकन के किसी अन्य आधार पर यथानिर्णीत प्रवीणता के विहित मानक प्राप्त किए हुए हैं, डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य शिक्षा संबंधी उपाधियां या पदक प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य शिक्षा संबंधी उपाधियां या पदक वापस लेना ;

(iv) सम्मानिक डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना ;

(v) परीक्षा या परीक्षण और मूल्यांकन की किसी अन्य पद्धति के माध्यम से संस्थान में प्रवेश के मानक अधिकथित करना ;

(vi) ऐसी रीति में, जिसमें किसी अंतरराष्ट्रीय महता का प्रत्यायन अर्जित होता है, उसके शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की अंतर्वस्तु, गुणता, डिजाइन और निरंतर मूल्यांकन का प्रबंध करना ;

(vii) अध्यापन और अनुसंधान के एकीकरण के माध्यम से तेल, गैस और पेट्रोरसायन उद्योग तथा ऊर्जा सेक्टर फायदे के लिए अनुसंधान और विकास संप्रवर्तित करना ;

(viii) तेल, गैस और पेट्रोरसायन उद्योग तथा ऊर्जा सेक्टर में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से नेटवर्किंग के माध्यम से सघन शैक्षिक और अनुसंधान संपर्क को संवर्धित करना ;

(ix) विश्व के किसी भी भाग में ऐसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या भागत: संस्था के उद्देश्यों के समान हैं, शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान के द्वारा, प्रायोजित

अनुसंधान करके तथा परामर्शदात्री परियोजनाओं द्वारा सहयोग करना ;

(x) पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना ;

(xi) छात्रों के लिए छात्र-निवासों, आवासों और छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध करना तथा छात्र-निवासों और छात्रावासों में निवास करने के लिए शर्तें अधिकथित करना ;

(xii) संस्थान के सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों के अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना ;

(xiii) छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण और विनियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण और सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना ;

(xiv) परिनियमों को विरचित करना, उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना ;

(xv) संस्थान से संबंधित या उसमें निहित किसी संपत्ति का ऐसी रीति में व्यवहार करना, जो संस्थान, अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उचित समझे ;

(xvi) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना तथा वसीयतकर्ता, दानदाता, अंतरक या पूर्व उद्योग या किसी व्यक्ति से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयतें, संदान, अनुदान और अंतरण प्राप्त करना ;

(xvii) संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना संस्थान के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना ;

(xviii) शिक्षण के लिए अभिवृत्ति के छात्र केंद्रीकृत शिक्षण रणनीतियों और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षाओं में नई प्रौद्योगिकी समेकित करना ;

(xix) संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला के साथ ही साथ ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य संबंधित क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले पेट्रोलियम सेक्टर के क्षेत्र में मुद्रित और गैर-मुद्रित ज्ञान के साधनों का सूचना साधन केंद्र विकसित करना और चलाना ;

(xx) संस्थान के कार्यरत वृत्तिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए तेल, गैस, संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला और ऊर्जा के प्रगतिशील क्षेत्रों में आगे की शिक्षा की व्यवस्था करना ;

(xxi) ऐसे कस्टमाइज्ड कार्यक्रमों की प्रस्थापना करना, जिससे संस्थान के परिसर या कंपनी साइट पर पेट्रोलियम और ऊर्जा सेक्टर में अग्रणी निरंतर शिक्षण के लिए कार्यरत वृत्तिकों की वर्तमान और भावी आवश्यकताएं पूरी होती हों ;

(xxii) उद्योगों को अपने कर्मचारिवृंद को संस्थान में उच्चतर डिग्रियों के

लिए तथा ऐसी समस्याओं पर काम करने के लिए, जो प्रायोजित उद्योग के लिए हितकारी है, प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उद्योग में एक गहन संपर्क और अनुसंधान वातावरण विकसित करने में सहायता करना ;

(xxiii) राष्ट्र के फायदे के लिए नए आधारभूत ज्ञान और अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी का सृजन और कंपनियों में उसके सक्रिय पारेषण का संवर्धन करना तथा इस प्रयोजन के लिए संस्थान में किए गए नए विकासों को पेटेंट करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार सेल की स्थापना करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय अनुज्ञप्ति प्रदान करना ;

(xxiv) संस्थान के परिसर में या अन्य अवस्थानों में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वारा विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में और डिजाइन उद्योग को अंतर्वलित करते हुए तथा कुरिकलन के संचालन द्वारा जनता को प्रशिक्षण देकर भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों के समर्थन में सक्रिय होना ;

(xxv) ऊर्जा की विस्तृत छत्रछाया के अधीन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से संबंधित प्रोद्योगिकियों के क्षेत्र में संस्थान के कार्यक्रम पर विस्तृत फोकस करना ;

(xxvi) ऐसी सभी बातें करना, जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट नहीं है, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

बोर्ड की शक्तियां ।

10. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड संस्थान के कार्यों के साधारण पर्यवेक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है तथा उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति भी होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड,--

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा ;

(ख) पाठ्यक्रमों की अवधि, संस्थान द्वारा प्रदत्त की जाने वाली डिग्रियों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों के नाम पद्धति की बाबत नीति अधिकथित करेगा ;

(ग) अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करेगा तथा दक्षता के मानक और संस्थान द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रमों की बाबत अन्य शैक्षणिक उपाधियां अधिकथित करेगा ;

(घ) काडर संरचना, अर्हता, भर्ती की पद्धति और शिक्षण की सेवा की शर्तों और अनुसंधान संकाय के साथ ही साथ संस्थान के अन्य कर्मचारियों की बाबत नीति अधिकथित करेगा ;

(ड.) संस्थान के साधन गतिशीलता का मार्गदर्शन करना और विनिधान के लिए नीति अधिकथित करेगा ;

(च) संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना संस्थान के प्रयोजनों के लिए ऋण लेने के लिए प्रस्तावों पर विचार करना और उन पर अनुमोदन करेगा ;

(छ) परिनियम विरचित करना और उन्हें परिवर्तित या उपांतरित या विखंडित करेगा ;

(ज) अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और उसकी विकास योजनाओं के कथन के साथ उस पर ऐसे संकल्प पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पद सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करेगा और उनके उत्थान और विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा ;

(ञ) संस्थान की विकास योजनाओं और ऐसी योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ;

(ट) अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान की वार्षिक प्रचालन और पूंजी बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा तथा अनुमोदित बजट की सीमाओं के भीतर व्यय मंजूर करेगा ;

(ठ) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से, वसीयतकारों, दानदाताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों के दान, अनुदान, वसीयत, संदान, उपकृति और अंतरण प्राप्त करेगा और संस्थान की निधियों को अभिरक्षा में रखेगा ;

(ड) फीसों और अन्य प्रभारों को नियत करेगा, उनकी मांग करेगा तथा उन्हें प्राप्त करेगा ;

(ढ) संस्थान की ओर से सभी विधिक कार्यवाहियों में वाद लाएगा और प्रतिरक्षा करेगा ;

(ण) ऐसी सभी बातें करेगा, जो पूर्वोक्त सभी या किन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(3) बोर्ड को ऐसी शक्तियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) बोर्ड को भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर परिसर और शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की शक्ति होगी :

परंतु भारत के बाहर कोई भी परिसर या शैक्षणिक केंद्र केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा ।

(5) धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड संस्थान की किसी भी स्थावर संपत्ति का केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी रीति में व्ययन नहीं करेगा ।

(6) बोर्ड इस प्रभाव के किसी विनिर्दिष्ट संकल्प के माध्यम से अपनी किन्हीं

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, संस्थान के प्रधान, निदेशक या किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को उसके ऐसे कार्य का, जो वह ऐसे प्रत्यायोजित अधिकार के अधीन करता है, पुनर्विलोकन करने का अधिकार आरक्षित रखने के अध्यधीन कर सकेगा ।

संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

11. (1) संस्थान सभी लिंग के व्यक्तियों के लिए और किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के लिए खुला होगा और छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों या किसी अन्य संबंध में, जो भी हो, प्रवेश देने या नियुक्ति करने में धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं किए जाएंगे ।

(2) संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की कोई वसीयत, दान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें बोर्ड की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्यों के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हों ।

संस्थान में शिक्षण ।

12. संस्थान में समस्त शिक्षण और अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार संस्थान द्वारा या उसके नाम से चलाए जाएंगे ।

कुलाध्यक्ष ।

13. (1) भारत के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे ।

(2) कुलाध्यक्ष संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यों की जांच करने के लिए तथा ऐसी रीति में, जो कुलाध्यक्ष निदेश दे, उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह रिपोर्ट में विचार किए गए विषयों की बाबत आवश्यक समझता है और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

संस्थान के प्राधिकरण ।

14. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :--

(क) महापरिषद् ;

(ख) शासी बोर्ड ;

(ग) सिनेट ; और

(घ) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिनका परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण होना घोषित किए जाएं ।

महापरिषद् का गठन ।

15. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महापरिषद् नामक निकाय का गठन किया जाएगा ।

(2) महापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगें, अर्थात् :--

(क) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, केंद्रीय सरकार - पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड - पदेन ;

(ग) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन

लिमिटेड - पदेन ;

(घ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन - पदेन ;

(ङ.) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गैस ऑथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड- पदेन ;

(च) हाइड्रोकार्बन्स का महानिदेशक - पदेन ;

(छ) प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), नीति आयोग - पदेन ;

(ज) कार्यकारी निदेशक, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट - पदेन ;

(झ) निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बैंगलोर - पदेन ;

(ञ) निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलोजी, हैदराबाद - पदेन ;

(ट) सचिव, ऑयल इंडस्ट्री डेवेलपमेंट बोर्ड - पदेन ;

(ठ) बोर्ड का प्रधान- पदेन ;

(ड) संस्थान का निदेशक - पदेन ; और

(ढ) देश में प्रचालित पेट्रोलियम सेक्टर के क्षेत्र में प्राइवेट अस्तित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अन्यून किन्तु चार से अनधिक व्यक्ति, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(3) संस्थान का कुल सचिव महापरिषद् का पदेन सचिव होगा ।

(4) अध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो महापरिषद् का सदस्य नहीं है, अपने अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसा आमंत्रिती मद देने का हकदार नहीं होगा ।

महापरिषद् की शक्तियां और कृत्य ।

16. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए महापरिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :--

(क) समय-समय पर संस्थान के बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना और उसके सुधार, विकास और विस्तार के उपाय सुझाना ;

(ख) वार्षिक लेखा कथन, जिसके अंतर्गत उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित तुलनपत्र भी है तथा उस पर शासी बोर्ड के संप्रेक्षणों पर विचार करना और संस्थान के राज्य वित्तीय प्रबंध में सुधारों पर सुझाव देना ;

(ग) संस्थान की समग्र गुणता और प्रभावशीलता का पुनर्विलोकन और मूल्यांकन करना तथा संस्थान और उसके पणधारियों के कार्यों में सुधार और उनके बीच आत्मविश्वास निर्माण के लिए उपायों पर सलाह देना ;

(घ) संस्थान के लिए विशेष तौर से छात्रों के स्थानन और साधन गतिशीलता की बाबत विश्वसनीयता, वातावरण, संबंध और संपर्क उपलब्ध कराना ;

(ङ.) ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन विकास के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत तेल, गैस,

नवीकरणीय और गैर-नवीकरण ऊर्जा इत्यादि हैं, जिनका अनुसरण करने की संस्थान को आवश्यकता है, के साथ ही साथ बोर्ड द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य मामले के संबंध में प्रौद्योगिकी के नए अग्रणी क्षेत्रों के संबंध में संस्थान और उसके बोर्ड को सलाह देना ;

(च) संस्थान या उसके बोर्ड को, संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला के साथ ही साथ ऐसे किसी विषय के संबध में, जो बोर्ड द्वारा सलाह के लिए उसे निर्दिष्ट किया जाए, समाविष्ट करने वाले पेट्रोलियम सेक्टर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों के संबंध में सलाह देना ।

सिनेट ।

17. संस्थान का सिनेट प्रधान शैक्षिक निकाय होगा तथा उसकी संरचना ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

सिनेट के कृत्य ।

18. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन सिनेट संस्थान पर नियंत्रण रखेगी और उसका साधारण विनियमन करेगी तथा उसकी शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

बोर्ड का प्रधान ।

19. (1) प्रधान साधारणतया बोर्ड के अधिवेशनों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) प्रधान का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाएं ।

(3) प्रधान ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

निदेशक ।

20. (1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, की जाएगी :

परंतु पहला निदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा पहले परिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) निदेशक, संस्थान का प्रधान शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह संस्थान के समुचित प्रशासन और शैक्षिक कार्य-प्रदर्शन और शिक्षण प्रदान करने के लिए तथा उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) निदेशक, बोर्ड के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा ।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

कुल सचिव ।

21. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और निधियों का और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का, जो बोर्ड उसके प्रभार में सुपुर्द करे, अभिरक्षक होगा ।

(2) कुल सचिव, महापरिषद्, बोर्ड, सिनेट और ऐसी अन्य समितियों के, जो

परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) कुल सचिव, अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।

22. उन प्राधिकरणों और अधिकारियों से भिन्न, जो इसमें इसके पूर्व वर्णित हैं, शक्तियां और कर्तव्य, परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

23. केंद्रीय सरकार संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन दक्षतापूर्ण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को धन की ऐसी राशियां और ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदाय करेगी ।

संस्थान की निधि ।

24. (1) संस्थान एक निधि रखेगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,--

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन ;

(ख) सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरणों द्वारा प्राप्त समस्त धन ;

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य साधन से प्राप्त समस्त धन ।

(2) निधि में जमा समस्त धन को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) निधि का उपयोजन संस्थान के व्ययों को, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं, की पूर्ति के मद्दे किया जाएगा ।

विन्यास निधि की स्थापना ।

25. धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान,--

(क) विन्यास निधि तथा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि की स्थापना कर सकेगा ; और

(ख) अपनी निधि से विन्यास निधि या किसी अन्य निधि में धन का अंतरण कर सकेगा ।

संस्थान का बजट ।

26. संस्थान प्रत्येक वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत एक बजट, उसमें संस्थान के प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए ऐसी रीति में और ऐसे समय पर तैयार करेगा और केंद्रीय सरकार को उसकी इतनी संख्या में प्रतियां भेजेगा, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

लेखा और संपरीक्षा ।

27. (1) संस्थान, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में, जो ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

परामर्श से जारी किए जाएं, विहित किया जाए, तैयार करेगा ।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और संस्थान के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केंद्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

28. संस्थान उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए, केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा इस रिपोर्ट की एक प्रति इसके प्राप्त होने के एक मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

पेंशन और भविष्य निधि ।

29. (1) संस्थान, अपने कर्मचारियों के, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधियां गठित करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां पर ऐसी किसी भविष्य निधि का गठन किया जाता है, वहां केंद्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य निधि थी । 1925 का 29

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।

30. संस्थान के सभी आदेशों और विनिश्चयों को निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और सभी अन्य लिखतों को निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो संस्थान द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

नियुक्तियां ।

31. निदेशक के सिवाय संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार--

(क) बोर्ड द्वारा की जाएंगी, यदि नियुक्ति सहायक आचार्य या ऊपर के पद के लिए शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की जाती है या नियुक्ति किसी ऐसे काडर में, जिसके लिए अधिकतम वेतनमान सहायक आचार्य के समान है या उससे ऊपर है, गैर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए की जाती है ; और

(ख) किसी अन्य मामले में निदेशक द्वारा की जाएगी ।

32. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-- परिनियम ।

(क) शिक्षण विभागों और अन्य शैक्षिक इकाइयों का बनाया जाना ;

(ख) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायतावृत्ति, पदकों और पुरस्कारों का संस्थन ;

(ग) संस्थान के अधिकारी का, जिसके अंतर्गत प्रधान, निदेशक, कुल सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के अधिकारी के रूप में घोषित किए जाएं, पदों का वर्गीकरण, पदावधि, नियुक्ति की पद्धति, शक्तियां और कर्तव्य और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(घ) वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद की सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण ;

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों का इस प्रकार आरक्षण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ;

(च) वह प्ररूप, जिसमें तथा वह समय, जिस पर संस्थान द्वारा बजट और रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे ;

(छ) वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप ;

(ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों का गठन ;

(झ) धारा 14 के खंड (घ) में निर्दिष्ट संस्थान के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ;

(ञ) शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(ट) आचार संहिता, कदाचार के लिए उस पर अनुशासनिक कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कदाचार के कारण कर्मचारी की सेवा समाप्त करना भी है और संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया ;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) छात्र निवासों, आवासों और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ढ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ; और

(ण) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

33. (1) संस्थान के प्रथम परिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे । परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

(2) बोर्ड, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उनको संशोधित या निरसित कर सकेगी ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या अतिरिक्त परिनियम या परिनियम के किसी भी संशोधन या निरसन के लिए महापरिषद् का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा, जो इस पर अपनी सहमति दे सकेगी, सहमति को रोक सकेगी या इसे विचारार्थ बोर्ड को विप्रेषित कर सकेगी ।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले किसी परिनियम की तब तक वैधता नहीं होगी जब तक उसे महापरिषद् द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाए ।

अध्यादेश ।

34. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण ;

(ग) संस्थान की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(घ) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें प्रदान किए जाने की पात्रता शर्तें ;

(ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों के प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(च) नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा परीक्षा निकाय, परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ज) संस्थान के छात्रों में अनुशासन को बनाए रखना ;

(झ) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(ञ) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्र-निवासों, छात्रावासों में निवास के लिए फीसों तथा अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ; और

(ट) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जाए ।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

35. (1) संस्थान का पहला अध्यादेश केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित किया जाएगा ।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(3) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश दे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष

प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उस पर अपने अगले उत्तरवर्ती अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

(4) बोर्ड को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा कारबार का संचालन ।

36. संस्थान के प्राधिकरण, अपने स्वयं के तथा उनके द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कारबार के संचालन के लिए और जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में कोई उपबंध नहीं है, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के संगत अपनी स्वयं की प्रक्रिया के नियम रख सकेंगे ।

माध्यस्थम् अधिकरण ।

37. (1) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई भी विवाद संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) किसी भी ऐसे मामले की बाबत, जिसका उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में माध्यस्थम् से संबंधित कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी ।

रिक्तियों द्वारा कार्य और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

38. (1) इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित संस्थान या महापरिषद् या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि-

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

संस्थान द्वारा डिग्रियों, इत्यादि का प्रदान किया जाना ।

1956 का 3

39. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां तथा पदक प्रदान करने की शक्ति होगी ।

प्रायोजित स्कीमें ।

40. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी संस्थान किसी सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अंतर्गत संस्थान में निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली अनुसंधान स्कीम या परामर्श समनुदेशन या शिक्षण कार्यक्रम या प्रधान आचार्य पद या छात्रवृत्ति इत्यादि को प्रायोजित करने वाला उद्योग भी है, निधियां प्राप्त करता है, तो--

(क) संस्थान द्वारा प्राप्त की गई रकम को संस्थान की निधि से पृथक् रखा जाएगा और उसका उपयोग उस स्कीम के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा ; और

(ख) उसे निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रायोजित संगठनों द्वारा अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएगी :

परंतु खंड (क) के अधीन अनुपयोजित शेष किसी भी धन को इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन सृजित विन्यास निधि में अंतरित किया जाएगा ।

केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।

41. इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

मतभेदों का समाधान ।

42. यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा इसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में संस्थान और केंद्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत दिन से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

44. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले सोसाइटी के उस हैसियत से कार्यकरण के लिए शासी बोर्ड तब तक इस प्रकार कार्य करती रहेगी, जब तक संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर ऐसे गठन से पहले पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद धारण नहीं करेंगे ; और

(ख) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले यथा प्रवृत्त भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान सोसाइटी के परिनियम और अध्यादेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, संस्थान को लागू होते रहेंगे ।

परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश या जारी की गई अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश या जारी की गई अधिसूचना, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, परिनियम या अध्यादेश या

अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसा परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाए जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभाव हो जाएंगे ; तथापि परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की न हो, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है, किन्तु किसी भी परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, यदि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिसे ऐसे परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना लागू हों ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य में एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तन जिले में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है । संस्थान का ऐसा क्षेत्र विशिष्ट संस्थान होना प्रत्याशित है, जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व और नवप्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधनों का पोषण करने के लिए मूल स्रोत के रूप में कार्य करेगा ।

2. संस्थान, परंपरागत हाइड्रो कार्बनों से संबंधित सभी पहलुओं पर उच्च क्वालिटी शिक्षा प्रदान करेगा और उन्नत अनुसंधान करेगा । इसके साथ ही साथ चूंकि ऊर्जा क्षेत्र विकसित हो रहा है और गैर परंपरागत हाइड्रो कार्बनों के साथ ही साथ नए स्रोत, जैसे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में आ रहे हैं, संस्थान भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अनुसंधान और विकास करेगा । संस्थान के पाठ्यक्रम का विशेषीकृत होना प्रस्तावित है और उसमें स्नातकोत्तर और डाक्टरेट स्तर पर उन्नत कार्यक्रम सम्मिलित होंगे ।

3. तदुनसार, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रस्ताव है:-

(क) पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना और उसकी राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा करना ;

(ख) शासी बोर्ड के गठन का उपबंध करना, जो संस्थान के कार्यों के साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थान के बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने और संस्थान के सुधार, विकास और विस्तार के लिए उपाय सुझाने के लिए संस्थान की महापरिषद् के लिए उपबंध करना ;

(घ) केंद्रीय सरकार को संस्थान के पहले परिनियम और पहले अध्यादेश विरचित करने की शक्ति प्रदान करना और उसके पश्चात् बोर्ड नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा और सिनेट के पास अध्यादेश बनाने की शक्ति का होना ;

(ड.) संस्थान और संस्थान के किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उत्पन्न किसी विवाद का विनिश्चय करने के लिए माध्यस्थम् अधिकरण का उपबंध करना, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक एम्पायर हो ।

4. खंडों के टिप्पण, विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
23 जून, 2017

धर्मेंद्र प्रधान

खंडों पर टिप्पण

खंड 2--भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए है ।

खंड 3--विधेयक में प्रयुक्त पदों विभिन्न पदों को परिभाषित करता है ।

खंड 4--भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना का उपबंध करता है ।

खंड 5--शासी बोर्ड के गठन का उपबंध करता है ।

खंड 6--बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्तों का उपबंध करता है ।

खंड 7--यह उपबंध करता है कि नियत दिन से ही वे सभी संपत्तियां, जो सोसाइटी में निहित थी, संस्थान में निहित हो जाएंगी ।

खंड 8--संस्थान के अधिकारों, दायित्वों और कर्मचारियों की बाबत संस्थान के निगमन के प्रभाव का उपबंध करता है ।

खंड 9--पेट्रोलियम और हाइड्रो कार्बनों तथा ऊर्जा के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी और उत्कृष्टता और अन्य संबंधित विषयों की बाबत संस्थान के विभिन्न कृत्य अधिकथित करता है ।

खंड 10--शासी बोर्ड की विभिन्न शक्तियों और कृत्यों को प्रगणित करता है । बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति, जो वह इस विधेयक के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझता है, भारत के भीतर किसी भी स्थान पर कैंपस और शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर कोई भी कैंपस या शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की शक्ति भी है ।

खंड 11--यह उपबंध करता है कि संस्थान मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के लिए खुला होगा और छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों या किसी अन्य संबंध में, जो भी हो, प्रवेश देने या नियुक्ति करने में धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं किए जाएंगे । उपखंड (2) यह भी उपबंध करता है कि संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की कोई वसीयत, दान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें बोर्ड की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्यों के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हों ।

खंड 12--यह उपबंध करता है कि संस्थान में सभी शिक्षण और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार संस्थान द्वारा या संस्थान के नाम से संचालित किए जाएंगे ।

खंड 13--यह उपबंध करता है कि भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा । उपखंड (2) कुलाध्यक्ष को संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए तथा उसके कार्यों की जांच करने के लिए और ऐसी रीति में, जो कुलाध्यक्ष निदेश करे, उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 14--संस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों को प्रगणित करता है, जैसे महापरिषद्, शासी बोर्ड, सिनेट और ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

खंड 15--महापरिषद् के गठन और संरचना का उपबंध करता है । उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि परिषद् का अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचित होगा । उपखंड (4) अध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो परिषद् का सदस्य नहीं है, अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने के लिए सशक्त करता है किन्तु ऐसा आमंत्रिती ऐसे अधिवेशन में मत देने के लिए हकदार नहीं होगा ।

खंड 16--महापरिषद् की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है ।

खंड 17--यह उपबंध करता है कि संस्थान की सिनेट प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इसकी संरचना ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

खंड 18--यह उपबंध करता है कि संस्थान की सिनेट संस्थान पर नियंत्रण रखेगी और साधारण विनियमन करेगी तथा संस्थान में शिक्षण शिक्षा और परीक्षा के मानक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाए या अधिरोपित की जाए ।

खंड 19--बोर्ड के अध्यक्ष के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है ।

खंड 20--संस्थान के निदेशक की नियुक्ति, कृत्यों और शक्तियों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 21--कुल सचिव की नियुक्ति, कृत्यों और शक्तियों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 22--यह उपबंध करता है कि अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

खंड 23--यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन की ऐसी राशियों का और ऐसी रीति में संदाय कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

खंड 24--यह उपबंध करता है कि संस्थान एक निधि रखेगी, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन, समस्त फीस और अन्य प्रभार संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरण द्वारा प्राप्त समस्त धन और संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन जमा किया जाएगा ।

खंड 25--विन्यास निधि और किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि के सृजन का उपबंध करता है ।

खंड 26--यह उपबंध करता है कि संस्थान प्रत्येक वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत एक बजट, उसमें संस्थान के प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए ऐसी रीति में और ऐसे समय पर तैयार करेगा और केंद्रीय सरकार को उसकी इतनी संख्या में प्रतियां भेजेगा, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

खंड 27--यह उपबंध करता है कि संस्थान, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं, ऐसे

प्ररूप में, जो ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएं, विहित किया जाए, तैयार करेगा । उपखंड (4) यह भी उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केंद्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

खंड 28--यह उपबंध करता है कि संस्थान उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए, केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा इस रिपोर्ट की एक प्रति इसके प्राप्त होने के एक मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

खंड 29--संस्थान से अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि स्कीम गठित करने की अपेक्षा करता है ।

खंड 30--यह उपबंध करता है कि संस्थान के सभी आदेशों और विनिश्चयों को निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और सभी अन्य लिखतों को निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो संस्थान द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

खंड 31--यह उपबंध करता है कि निदेशक के सिवाय संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

खंड 32--ऐसे विभिन्न विषयों का उपबंध करता है जिन पर विधेयक के उपबंधों के अध्यधीन परिनियम विरचित किए जा सकेंगे ।

खंड 33--यह उपबंध करता है कि संस्थान के प्रथम परिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे । उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि बोर्ड, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उनको संशोधित या निरसित महापरिषद् के पूर्वानुमोदन से कर सकेगा जो उस पर सम्मति दे सकेगी या सम्मति को रोक सकेगी या उसे बोर्ड को विचारार्थ विप्रेषित कर सकेगी ।

खंड 34--ऐसे विभिन्न विषयों का उपबंध करता है जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अध्यधीन अध्यादेश विरचित किए जा सकेंगे ।

खंड 35--यह उपबंध करता है कि संस्थान का पहला अध्यादेश केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित किया जाएगा । उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे । उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि ऐसा अध्यादेश यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उस पर बोर्ड द्वारा अगले उत्तरवर्ती अधिवेशन में विचार किया जाएगा । उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि बोर्ड को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

खंड 36--यह उपबंध करता है कि संस्थान के प्राधिकरण, अपने स्वयं के तथा उनके द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कारबार के संचालन के लिए और जिसके लिए

इस विधेयक, परिनियमों और अध्यादेशों में कोई उपबंध नहीं है, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के संगत अपनी स्वयं की प्रक्रिया के नियम रख सकेंगे ।

खंड 37--यह उपबंध करता है कि संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के दृष्टांत पर ऐसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक एम्पायर होगा ।

खंड 38--उन परिस्थितियों का उपबंध करता है जिनके अधीन संस्थान या महापरिषद् या बोर्ड या सिनेट या अधिनियम अथवा परिनियमों के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय का कार्य अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा ।

खंड 39--संस्थान को डिग्रियां और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां और पदक प्रदान करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 40--यह उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट समनुदेशनों या प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि को संस्थान की निधि से पृथक् रखा जाएगा और उसका उपयोग ऐसे विनिर्दिष्ट समनुदेशनों या प्रायोजित परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा उसे निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी, प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार भर्ती किए जाएंगे ।

खंड 41--यह उपबंध करता है कि विधेयक के दक्ष प्रशासन के लिए संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

खंड 42--यह उपबंध करता है कि संस्थान और केंद्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

खंड 43--केंद्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न कठिनाई को आदेश द्वारा नियत दिन से दो वर्ष के भीतर दूर करने के लिए सशक्त करता है और ऐसा प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 44--संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित है । खंड यह उपबंध करता है कि इस विधेयक के अधिनियमन के प्रारंभ से ठीक पहले सोसाइटी के उस हैसियत से कार्यकरण के लिए शासी बोर्ड तब तक इस प्रकार कार्य करती रहेगी, जब तक संस्थान के लिए इस विधेयक के अधीन किसी नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता । किन्तु नए बोर्ड के गठन पर ऐसे गठन से पहले पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद धारण नहीं करेंगे और इसी प्रकार जब तक प्रस्तावित विधेयक के अधिनियमन पर प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, ऐसे अधिनियमन से ठीक पहले यथा प्रवृत्त भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान सोसाइटी के परिनियम और अध्यादेश, जहां तक वे इस विधेयक के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, संस्थान को लागू होते रहेंगे ।

खंड 45--सभी परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित किए जाने और संसद् के प्रत्येक के सदन के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तन में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना का उपबंध करता है ।

2. विधेयक का खंड 23 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार संस्थान को संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को धन की ऐसी राशियां और ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदाय करेगी । विधेयक का खंड 25 यह उपबंध करता है कि संस्थान किसी विन्यास निधि और किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी भी अन्य निधि की स्थापना कर सकेगी और अपनी निधि से विन्यास निधि या किसी अन्य निधि में धन का अंतरण कर सकेगी ।

3. संस्थान की स्थापना में 655.46 करोड़ रुपए के कुल पूंजीगत व्यय और 400 करोड़ रुपए (बजट सहायता से 200 करोड़ रुपए तथा 5 तेल पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से 200 करोड़ रुपए) की विन्यास निधि अंतर्वलित है । 400 करोड़ रुपए की विन्यास निधि से प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग लगभग आधा आवर्ती व्ययों के विरुद्ध घाटे की पूर्ति के लिए किया जाएगा और शेष आवर्ती व्ययों की पूर्ति छात्रों की फीस, संदान और संस्थान की अन्य उपार्जनों जैसे अनुसंधान और विकास, परामर्शों, छात्रों की स्थानन फीस इत्यादि, से की जाएगी ।

4. बजट सहायता से अपेक्षित वर्षवार अपेक्षा निम्नलिखित रूप में है :

वर्ष	**पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपए में)**	**विन्यास निधि (करोड़ रुपए में)**
2016 - 2017	196.19	66.66
2017 - 2018	133.23	66.66
2018 - 2019	101.96	66.68
2019 - 2020	92.32	-
2020 - 2021	71.64	-
2021 - 2022	55.96	-
2022 - 2023	4.16	-
कुल	**655.46**	**200.00**

5. विधेयक में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 33 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को संस्थान पहले परिनियम विरचित करने के लिए सशक्त करता है । खंड 32 ऐसे विषयों का उपबंध करता है जिनकी बाबत परिनियम बनाए जा सकेंगे, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण के विभागों और अन्य शैक्षणिक इकाइयों के बनाए जाने, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायतावृत्ति, पदकों और पुरस्कारों का संस्थन , संस्थान के अधिकारी का, जिसके अंतर्गत प्रधान, निदेशक, कुल सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के अधिकारी के रूप में घोषित किए जाएं, पदों का वर्गीकरण, पदावधि, नियुक्ति की पद्धति, शक्तियां और कर्तव्य और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें , संस्थान के कर्मचारियों की आचार संहिता आदि, सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किए जाने, आवासों और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण, बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन से संबंधित विषय भी हैं । विधेयक के खंड 33 का उपखंड (2) संस्थान को समय-समय पर नए यात्रिक परिनियम बनाने या परिनियमों को संशोधित या निरसित करने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 35 सिनेट को अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करता है । खंड 34 ऐसे विषयों का उपबंध करता है जिसकी बाबत अध्यादेश बनाए जा सकेंगे, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान के छात्रों का प्रवेश, सभी डिग्रियों के लिए अधिकथित किया जाने वाला अध्यतन पाठ्यक्रम, संस्थान के डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उन्हें दिए जाने की पात्रता शर्तें, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायता वृत्ति, पदक और पुरस्कारों के दिए जाने की शर्तें, परीक्षाओं का संचालन, संस्थान के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस, संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें, छात्र-निवासों, छात्रावासों में निवास के लिए फीसों तथा अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण भी है ।

3. विधेयक का खंड 45 प्रत्येक परिनियम और अध्यादेश को उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध करता है ।

4. वे विषय, जिनकी बाबत परिनियम और अध्यादेश बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस रूप में उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—1043LS(CRC)—12-07-2017.